

दिनांक -03.07.2024 युवती के साथ दुराचार करने वाले अभियुक्त को थाना सहसपुर पुलिस ने प्रार्थना पत्र प्राप्ती के 24 घंटे के अन्दर किया गिरफ्तार।

थाना सहसपुर:

दिनांक: 02-07-2024 को वादिनी निवासी सहसपुर थाना सहसपुर पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि वर्ष 2017 मे जब वो नाबालिग थी और कक्षा 9 मे पढती थी तब एक अज्जू उर्फ आजम नाम के लडके ने उसे बहला फुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया और उसकी विडियो बनाकर रख ली, और बार-बार वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करते हुए अलग-अलग जगह ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। तहरीर के आधार पर थाना सहसपुर मे मु0अ0स0- 203 धारा 5(L)/6 पोक्सो एक्ट व 376 भादवि0 बनाम अज्जू उर्फ आजम अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर गठित टीम द्वारा प्रार्थना पत्र मिलने के 24 घंटे के अन्दर आज दिनांक 03.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अज्जू उर्फ आजम पुत्र जमशेद अली निवासी केदारावाला थाना सहसपुर उम्र 22 वर्ष को मेन्टल हास्पिटल शंकरपुर के पास से गिरफ्तार किया ।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त:

1. अज्जू उर्फ आजम पुत्र जमशेद अली निवासी केदारावाला थाना सहसपुर उम्र 22 वर्ष ।

पुलिस टीम:

1.म0उ0नि0 रश्मि रावत

2.उ0नि0 विनय मित्तल

3-कानि0 1274 विकास त्यागी

4-कानि0 1302 सुशील कुमार

